किस्म मुकदमा राजस्व दावा संख्या 12 /2020 U/S 88 RTA & 136 RLRA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
28.01.2020	यह दावा वादीनी ज्यानीदेवी पत्नी सिकाराम की ओर से अधिवक्ता श्री मेघाराम गोदारा ने पेश किया। जो सरिश्ते से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर हो। वकील वादी ने निवेदन किया कि मेरे सभी दस्तावेजात में मेरा नाम ज्यानीदेवी पत्नी सिकाराम अंकित है जबकि वाके रोही पांचू उत्तरी के खेत खसरा नम्बर 1768/1 रकबा 3.02 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम ज्यानीदेवी पत्नी रामप्रताप नाम अंकित है। जिसे दुरूस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है। भूमि रहन है। हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः नाम शुद्ध किये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते है कि वाके रोही पांचू उत्तरी के खेत खसरा नम्बर 1768/1 रकबा 3.02 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम ज्यानीदेवी पत्नी रामप्रताप के स्थान पर ज्यानीदेवी पत्नी सिकाराम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है साथ ही तहसीलदार नोखा को आदेश दिये जाते है कि वादगत भूमि रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करे। शेष प्रविष्ठिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया। 28/1/20 (रमेश देव) उपखण्ड अधिकारी नोखा	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.02.12 21:58:25 IST
Reason: SelfAttested